न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2023-097(GCMS2023-183)

1. राजाराम उर्फ राजुराम पुत्र बस्ताराम
2. लादुराम पुत्र अर्जुनराम
3. सेठुडी पत्नी अर्जुनराम

जातियान हरिजन (मेहतर)
निवासीगण ग्राम कोसाणा,
तहसील पीपाडीशहर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार पीपाडशहर
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय न्यायालय लैण्ड रिकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पीपाडशहर दिनांक 20 मार्च 2020 राजस्व वाद संख्या 66/2019 अनवान राजारामव अन्य बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर

उपस्थित-
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 30 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2019 राजाराम व अन्य बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर में पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 20 मार्च 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 अप्रेल 2023 को प्रस्तुत की है। अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत एक दावा आराजी खसरा संख्या 87/14 रकबा 2.1843 हैक्टेयर वाके ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर के संबंध में प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण-अपीलाण्ट्स की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है, मगर लिपिकीय त्रुटिवश वादीगण-अपीलाण्ट्स के पूर्वज अर्जुनराम की जाति राजस्व रिकार्ड में "सरगरा" अंकित कर दी गयी जबकि वादीगण-अपीलाण्ट्स हरिजन समाज के व्यक्ति है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 मार्च 2020 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी का दिनांक 04 अप्रेल 1968 को वादीगण-अपीलाण्ट्स के पूर्वज जोगा वल्द भाणु के पक्ष में नियमन हुआ था, मगर नियमन आदेश के अनुसरण म्युटेशन संख्या 105 में सहवन से उनकी जाति मेहतर की बजाय सरगरा अंकित कर दी गयी और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में उत्तरोतर इन्द्राजात होते रहे। वादीगण-अपीलाण्ट्स अशिक्षित/अल्पशिक्षित होने से इस बाबत उन्हें कोई जानकारी नहीं हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जोगा वल्द भाणु के जीवनकाल में ही उसके पुत्र बस्ताराम का देहान्त हो गया, इस कारण जोगा वल्द भाणु का देहान्त होने पर वादग्रस्त आराजी उनके पौत्रों अर्थात बस्ताराम के पुत्रों राजाराम व अर्जुनराम के पक्ष में फौतेदगी म्युटेशन संख्या 243 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। इनमें से अर्जुनराम का देहान्त दिनांक 18 जून 2015 को हो गया, अपीलाण्ट्स-वादीगण संख्या 2 3 अर्जुनराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है, मगर राजस्व रिकार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात, भामाशाह कार्ड, पहचान-पत्र, बैंक डायरी, आधार कार्ड आदि में जाति हरिजन (मेहतर) दर्ज होने से आदिनांक तक उनके पक्ष में फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत नहीं हुआ। किसान केडिट कार्ड जारी करवाने हेतु व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने हेतु राजस्व रिकार्ड में समुचित अमल-दरामद कराये जाने हेतु विचारण न्यायालय में वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से दावा पेश किया गया, मगर समुचित साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा मात्र तहसीलदार की अनुशंसा के अभाव में खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर, रकबा, जाति, लगान आदि गलत हो जाने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत घोषणात्मक डिकी के जरिये शुद्धि का प्रावधान है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स-वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हें प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होना बताया और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कहा कि आवश्यकता होने पर अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित कर बुला लिया जायेगा। वादीगण-अपीलाण्ट्स इसी विश्वास में रहे, मगर काफी समय तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 04 अप्रेल 2023 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने दावा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 मार्च 2020 को खारिज हो जाना बताया। तब विचारण न्यायालय से नकलें आदि प्राप्त कर बाद आवश्यक कार्यवाही जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीरत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का नियमन जोगा वल्द भाणु जाति सरगरा के पक्ष में हुआ और इसी अनुसार म्युटेशन संख्या 105 की कार्यवाही भी हुई। कालान्तर में जोगा के देहान्त के बाद राजाराम व अर्जुनराम पिसरान बस्ताराम जाति सरगरा के पक्ष में म्युटेशन संख्या 243 स्वीकृत हुआ। वादीगण-अपीलाण्ट्स की जाति मेहतर (हरिजन) है, ऐसी स्थिति में मात्र नामों की समानता के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दावा डिकी किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में पटवारी हळका एवं संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा संख्या 87/14 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 2.1843 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बारानी तृतीय पर वर्तमान में राजाराम पुत्र बस्ताराम, लाडूराम पुत्र अर्जुनराम, सेठूडी पत्नी अर्जुनराम जाति मेहतर निवासी कोसाणा का कब्जा होना प्रकट होता है। साथ ही ग्राम मालावास के खसरा संख्या 87 की 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोगा वल्द भाणु कौम सरगरा साकिन कोसाण के नाम म्युटेशन संख्या 105 के अनुसार नियमन होना तथा जोगा वल्द भाणू कौम सरकार के देहान्त के बाद म्युटेशन संख्या 243 के जरिये उक्त भूमि राजाराम, अर्जुनराम पिसरान बस्तीराम कौम सरगरा के पक्ष में दर्ज होना भी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है।

सरपंच ग्राम पंचायत कोसाणा एवं पटवारी कोसाणा द्वाराप्रमाणित वंशावली (विचारण न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ 35 पर उपलब्ध) के अनुसार अर्जुनराम पुत्र बस्ताराम मेहतर का पुत्र लाडूराम व पत्नी सेठुडी होना व कोई पुत्री नहीं होना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही में प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों के अनुसार लाडूराम पुत्र अर्जुनराम (वादी संख्या तीन), राजुराम पुत्र बस्तीराम (वादी संख्या एक), सेठूडी पत्नी अर्जुनराम (वादी संख्या दो) तथा अर्जुनपराम पुत्र बस्तीराम की जाति मेहतर होना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार-कार्ड, राशनकार्ड एवं चुनाव आयोग द्वारा जारी निवार्चक पहचान पत्र की छायाप्रतियों से लाडूराम के पिता का नाम अर्जुनराम, राजुराम/राजाराम के पिता का नाम बस्ताराम, सेठूडी के पति का नाम अर्जुनराम तथा अर्जुनराम के पिता का नाम बस्ताराम होना प्रकट होता है। अदालत हाजा के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत कार्यालय ग्राम पंचायत कोसाना द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 26 अक्तूबर 2024 के अनुसार जोगा वल्द भाणु कौम हरिजन ग्राम कोसाणा का स्थायी निवासी था, उसका देहान्त होचुका है और जोगाराम का पुत्र बस्ताराम भी फौत हो चुका है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बस्ताराम का एक पुत्र राजाराम है, तथा दूसरे पुत्र अर्जुनराम का दिनांक 18 जून 2015 को देहान्त हो चुका है। अर्जुनराम की पत्नी सेठुडी व पुत्र लाडूराम होना भी उक्त दस्तावेज में अंकित है। साथ ही उक्त दस्तावेज में ग्राम पंचायत कोसाना के सरपंच, उप-सरपंच व दो अन्य वार्ड पंचों द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया है कि ग्राम कोसाना का कोई जोगा वल्द भाणु कौम सरगरा निवासी नहीं है। इस प्रकार इन सभी दस्तावेजात तथा प्रकट तथ्यों के आधार पर वादीगण-अपीलाण्ट्स जोगा वल्द भाणु के वंशज होना, इनकी जाति हरिजन (मेहतर) होना और ग्राम कोसाना में जोगा वल्द भाणु जाति सरगरा कोई निवासी नहीं होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी के मूल आंवण्टी जोगा वल्द भाणु की जाति सहवन से राजस्व रिकार्ड में मेहतर की बजाय सरगरा अंकित हो गयी हो और उत्तरोत्तर यही जाति दोहरायी जाती रही हो। मामले में ऐसा कोई क्लेम या साक्ष्य-सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है जिसके आधार पर जोगा वल्द भाणु जाति सरगरा निवासी कोसाणा का अस्तित्व होना प्रकट होता हो। ऐसी स्थिति में वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है मगर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण-अपीलाण्ट्स को दावा राजस्व रिकार्ड में खातेदारान की जाति सरगरा अंकित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया, जिससे अदालत हाजा सहमत नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 मार्च 2020 अपास्त किया जाता है और अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार करते हुए गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर स्थित आराजी खसरा संख्या 87/14 रकबा 2.1843

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैक्टेयर में ½ हिस्सा राजाराम उर्फ राजूराम पुत्र बस्ताराम जाति हरिजन (मेहतर) तथा ½ हिस्सा लाडुराम पुत्र अर्जुनराम व सेठूडी पत्नी अर्जुनराम जातियान हरिजन (मेहतर) निवासीगण कोसाणा तहसील पीपाडशहर को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर